

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-01/2016गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0008-सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद, विषय शीर्ष 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055000010008 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष, उप मुख्यशीर्ष के लघु शीर्ष 114-बेतार और कम्प्यूटर, उपशीर्ष 0001-संकेत, विषय शीर्ष 06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 13 05-विधि प्रभार, 14 01-किराया महसूल एवं कर एवं 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055001140001 अंतर्गत क्रमशः ₹ 5,00,000, ₹ 20,000, ₹ 60,000 एवं ₹ 2,10,000 यानि कुल ₹ 7,90,000 (सात लाख नब्बे हजार रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-01/2016 गृ0आ0.....पटना, दिनांक 23/3/17

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (बजट), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

राधा
21/03/17